न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी –राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 61/2018
दायर दिनांक :– 01/06/2018
निर्णय दिनांक :–04/09/2025

अनवान्

1. हरलाल पिता तिलोक खटीक, निवासी नई आबादी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादीगण

बनाम

1. रघुनाथ पिता प्रताप खटीक निवासी नई आबादी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. रतन पिता प्रताप खटीक, निवासी खटीक मोहल्ला रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. केसर पिता प्रताप खटीक, निवासी नई आबादी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य एवं भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से – श्री प्रकाशचन्द्र खटीक, अधिवक्ता
अधिवक्ता प्रतिवादीगण – श्री रतनलाल रावत, अधिवक्ता

दिनांक – 04/09/2025

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की वर्तमान जमाबन्दी संख्या 106 में निम्न आराजी संख्या 120, 125 कुल किता–02 कुल रकबा 04–13 बीघा कृषि भूमियां स्थित है। प्रमाण में वर्तमान नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ संलग्न है। वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अंकन है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात राजस्व रेकर्ड में खाता सामलाती दर्ज है मौके पर आपसी सहमति स्वीकृति के विभाजन कर रखा है। लेकिन आये दिन मेडबन्दी, सीमाकंन चिन्ह एवं रकबा बाबत् पक्षकारान (खातेदारान) के बीच आये दिन लडाई झगडा होता रहता है तथा वादी को प्रतिवादीगण कहते है कि हमारा सीमाकंन चिन्ह ईधर है थोहर बाड हमारी है एवं लगान भी समय पर जमा नही हो पाता है। ऐसी स्थिति में भूमियों का विकास नही हो पाता है। इसलिये भूमियों का विकास हो सके एवं लगान जमा करानें में सुविधा हो सके तथा प्रतिवादीगण एवं वादी के बीच उक्त आराजियात संबंधि कोई विवाद नही हो इसलिये वाद पत्र में वर्णित आराजियात का विभाजन कानुनन किये जाने की आवश्यकता है। वादी का अपने हिस्से अनुसार अराजी संख्या 120 एवं 125 पर कब्जा होकर निरन्तर निर्वघ्न कब्जे काश्त कर रहे है तथा उक्त आराजियात का मौके पर विभाजन कर रखा होकर आराजी संख्या 120, 125 वादी के हिस्से में है। इसलिये विभाजन कब्जे को मध्यनजर रखते हुए विभाजन किये जाने की आवश्यकता है जिससे विभाजन का यह वाद आप न्यायालय में सादर प्रस्तुत है ताकि कानुनन विभाजन हो जोन से वादी अपने खेत के हिस्से अनुसार स्वतंत्र आधिपत्य पर कब्जे काश्त कर सकें। जिससे अनावश्यक मुकदमेंबाजी नही बढ सकें। वादी के हिस्से की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

विभाजन हो जोन के पश्चात् वादी के हिस्से की आराजियात में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 वादी के उपयोग उपभोग में, कब्जें काश्त में हस्तक्षेप, दखलन्दाजी बाधा कारित नही करें, न ही स्वयं करें न ही अपने नौकर, चाकर एजेण्ड से करावें इस हेतु प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 को निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबन्धित किये जाने की आवश्यकता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबंधित नही किया गया तो अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढेगी एवं वादीगण को अपूरर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नकदी में संभव नही होगी। इसलिये प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की नितान्त आवश्यकता है। इस हेतु यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद आप न्यायालय में सादर प्रस्तुत है। खातेदार बदामी पत्नि स्व. प्रताप खटीक निवासी रेलमगरा की मृत्यु हो चुकी है परन्तु उसका नामान्तरकरण नही खुला है तथा बदामी के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 ही है। प्रतिवादी संख्या 04 सरकार एवं भूमिधारक होने से राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते है इसलिये पक्षकार बनाया गया है बल्कि इनके विरूद्व कोई अनुतोष इस वाद में नही चाहा गया है। वादी का वाद हेतु दिनांक 22/05/2018 को उत्पन्न हुआ जब वादी अपने खेत पर अर्थात् वादग्रस्त आराजियात पर गये तो प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये और सीमा संबंधित व कब्ज संबंधित विवाद करने लग गये। वादी द्वारा कहा गया कि आपसी सहमति से विभाजन करा लेवे तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया जिससे यह वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी फरमाई जावें कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात का विभाजन कब्जे को मध्यनजर रखते हुए विभाजन किया जावें और कमी रकबा हो तो उसे भी पुरा किया जावें एवं राजस्व रेकर्ड में पृथक से अंकन किया जावें। इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व विभाजन कें प्रारम्भिक एवं अन्तिम डिक्री जारी फरमाई जावें। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात में हिस्से का विभाजन हो जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी भी रूप में हस्तक्षेप, दखलन्दाजी बाधा, अवरोध कारित नही करें, न ही स्वयं करें, न ही किसी अन्य से करावें इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावें।इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित विवरण स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 02 का विवरण स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 03 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। जवाब में निवेदन है कि राजस्व रेकर्ड के हिस्से अनुसार मौके पर प्रतिवादीगण व्यवस्था से कम रकबे पर प्रतिवादी काबिज है एवं ज्यादा रकबे पर वादी काबिज है इसलिये वादी प्रतिवादीगण के साथ जबरदस्ती ज्यादा रकबे का उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रतिवादीगण आराजी संख्या 120, 125 कुल रकबा 04–13 बीघा में वादी का 1/2 एवं प्रतिवादी का 1/2 हिस्से का मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति अनुसार विभाजन करने का जो अनुतोष मांगा है वो प्रतिवादी को स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण के द्वारा कभी भी वादी के साथ में कोई लडाई झगडा नही किया है जबकि वादी प्रभावी व्यक्ति है राजनिति में उंची पहूँच रखता है व परिवार के सदस्य भी उच्च पदस्थ पर आसीन हो से प्रतिवादीगण के साथ अपराध करने पर आमादा रहते है। इसलिये येनकेन प्रकरेण प्रतिवादीगण के साथ वादी संगीन वारदात करने की धमकियां देते है कि हम प्रतिवादी की जमीन हडप लेगें व मौके पर काश्त नही करने देगें। इस प्रकार के आपराधिक कृत्य वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के साथ किया जाता रहा है इसके अलावा आराजी संख्या 120 के पश्चिमी दिशा एवं आराजी संख्या 125 के उत्तरी दिशा जहां दोनो आराजी मिलती है उसकी सीमा पर वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की पुतलियां बैठी है जो वादी एवं प्रतिवादीगण के आराध्य देवता है। इसके अलावा प्रतिवादी के द्वारा उक्त स्थान पर मोगी माताजी (प्रतिवादीगण की मां की पुतली) बिठा रखी है। उक्त स्थान भी संयुक्त सामलाती है। वाद प. की कलम संख्या 04 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

जवाब में निवेदन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में संयुक्त सामलाती अविभाजित हिस्सा 1/2, 1/2 दर्ज है ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादीगण के विरुद्व किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नही है न ही कानुनन कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है एवं न ही प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराया जा सकता है। वादी ने तथ्य मनगढंत रूप से मिथ्या आधारो पर अंकित कराये है जो स्वीकार योग्य नही हैं। वादपत्र की कलम संख्या 05 का विवरण स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 06 का विवरण कानुनी होने से जवाब की आवश्यकता नही हैं। वादपत्र की कलम संख्या 07 के विवरण में दिनाक 22.05.2018 को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त भूमियों को लेकर वादी के साथ किसी प्रकार की कोई लडाई झगडा नही किया गया हैं।जिसके अलावा सीमा ओर कब्जे का मौके पर विवाद नही है। वादी ने राजस्व रेकोर्ड में 1/2 से ज्यादा रकबे में कब्जा कर रखा है जो वादी प्रतिवादीगण को नही देना चाहता है जिससे वादी प्रतिवादीगण के साथ लडाई झगडा करते हैं। वादपत्र की कलम संख्या 08 का विवरण कानुनी होने से जांच से संबंधित हैं। वादपत्र की कलम संख्या 09 का विवरण कानुनी हैं।अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण की प्रार्थना क,ख,ग,घ स्वीकार योग्य नही है प्रतिवादीगण का निवेदन है कि वादी का वाद यदि स्वीकार किया जाता है तो वादपत्र की पेरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों का मिटस एण्ड बोडस के बनुसार विभाजन कराया जावें। शेष प्रार्थना अस्वीकार हैं।आराजी संख्या 120 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 125 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है एवं उक्त हिस्से अनुसार मिटस एण्ड बोडस के अनुसार विभाजन किया जाना न्यायहित में जरूरी हैं। इसके अलावा आराजी संख्या 120 के पश्चिमी दिशा एवं अबाराजी संख्या 125 के उत्तरी पूर्वी दिशा जहां पर दोनो आराजीयात आपस मिलती है उस जगह पर वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त आराध्य देव पुर्वज बावजी एवं मोगी माताजी(प्रतिवादीगण के माता की पुतली) प्रतिस्थापित है जो पुजनीय है उस जगह को संयुक्त रखी जावें व पुजा स्थल के रूप में उपयोग उपभोग की जाती रही हैं।वादी एवं प्रतिवादी की कृषि आराजीयात सख्या 120, 125 का विभाजन कब्जे अनुसार वादी करने का अधिकारी हैं।वादी को प्राप्त आराजीयात में प्रतिवादी द्वारा किसी भी रूप में हस्तक्षेप व दखलन्दाजी व उपयोग उपभोग में बाधा कारित नही करें इस हेतु वादी निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। में पक्षकारान के मध्य कब्जा व राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से को ध्यान में रखकर मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति से विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त पक्षकारान को सूचित कर पक्षकारान के मध्य कब्जा व राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से को ध्यान में रखकर मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति से विभाजन योजना तैयार की जाकर मय दो प्रतियों में नक्शा ट्रेस पृथक–पृथक रंग भरे जाकर प्रस्तुत करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रारम्भिक डिक्री

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :–61/2018

अनवान

वादी पक्ष :–

1. हरलाल पिता तिलोक खटीक, निवासी नई आबादी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. रघुनाथ पिता प्रताप खटीक निवासी नई आबादी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. रतन पिता प्रताप खटीक, निवासी खटीक मोहल्ला रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. केसर पिता प्रताप खटीक, निवासी नई आबादी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य एवं भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,
वादीगण की ओर से – श्री प्रकाशचन्द्र खटीक, अधिवक्ता
अधिवक्ता प्रतिवादीगण – श्री रतनलाल रावत, अधिवक्त

में इस आशय मे दिनांक 04/09/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का आंशिक रूप से वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम रेलमगरा में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की आराजी संख्या 120, 125 कुल किता– 02 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा स्थित है तथा ग्राम रेलमगरा में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की आराजी संख्या 120,125 कुल किता– 02 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा में पक्षकारान के मध्य कब्जा व राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से को ध्यान में रखकर मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति से विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त पक्षकारान को सूचित कर पक्षकारान के मध्य कब्जा व राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से को ध्यान में रखकर मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति से विभाजन योजना तैयार की जाकर मय दो प्रतियों में नक्शा ट्रेस पृथक–पृथक रंग भरे जाकर प्रस्तुत करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें।

आज दिनांक 04/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा